Business Bhaskar
Saturday, 18th January 2014

'एटीए कार्नेट सिस्टम लाभदायक'

बिजनेस भास्कर ▶ जयपुर...

फिक्की के सीनियर डायरेक्टर निरंकार सक्सेना ने कहा कि कोई भी एटीए कार्नेट धारी कस्टम प्रक्रिया को टाल सकता है और आयातकर्ता देश में धरोहर राशि या प्रतिभूतियों के बिना आयात-निर्यात कर सकता है। एटीए कार्नेट एक अस्थायी प्रवेश दस्तावेज है जो कस्टम प्रक्रियाओं को आसान करता है। साथ ही, बिना शुल्क चुकाए या बैंक गारंटी के अस्थायी आयात के लिए विदेश में क्लियरंस को सरल करता है। भारत में एटीए कार्नेट के लिए फिक्की एकमात्र नेशनल गारंटर है। एटीए कार्नेट सिस्टम पर जयपुर में आयोजित कार्यशाला में सक्सेना ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के बीच सामानों के अस्थायी आयात/निर्यात के लिए कार्नेट सिस्टम बेहतर है। सामानों के लिए पासपोर्ट की तरह एटीए कार्नेट है। इससे किसी भी प्रतिभागी देश में एक साल के लिए प्रवेश की अनुमति उसे मिलती है, जिसके लिए इसे जारी किया जाता है। फिक्की, एफआईईओ और जीजेईपीसी (राजस्थान क्षेत्र) के सहयोग से आयोजित कार्यशाला में बताया गया कि एटीए कार्नेट के उपयोग के लिए कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसमें व्यापार मेले, शो, प्रदर्शनी और बैठकें शामिल हैं।